

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक जुलाई 2015

पत्र संख्या-1/एल1-10-16/2015 गृ0आ0 /श्री आदित्य कुमार, भा0पु0से0 (2011), पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 20.07.2015 से 29.07.2015 तक कुल 10 (दस) दिनों की उपाजित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री कुमार के उक्त अवकाश अवधि में श्री आनन्द कुमार सिंह सिंह, भा0पु0से0 (2005), समादेष्टा, बि0सै0पु0-16, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद के प्रभार में रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(रामजीवन सत्यार्थी)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-16/2015 गृ0आ0 /पटना, दिनांक जुलाई, 2015

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-16/2015 गृ0आ0 /पटना, दिनांक जुलाई, 2015


प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-16/2015 गृ0आ0 5244/पटना, दिनांक 29 जुलाई, 2015

प्रतिलिपि:- अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ श्री आदित्य कुमार, भा0पु0से0 (2011), पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद / श्री आनन्द कुमार सिंह सिंह, भा0पु0से0 (2005), समादेष्टा, बि0सै0पु0-16, पटना /आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के उप सचिव।